न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः– 128/2023

जीवनराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन 2 एलबीएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–:बनाम:–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।
2. ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन 2 एलबीएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगराज सिंह भारी —— प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 14/8/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता सं. 23/48 के प.नं. 52/361 (4) किला नं. 13/2, 14, 15, प.नं. 52/363 (13) किला नं. 18 ता 23 की कुल 2.150 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थी के भाई ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता सं. 15/48 के प.नं. 52/361 (4) किला नं. 25/2 की 0.222 हैक. में कुंआ लगा हुआ है। जो कि प.नं. 52/361 के किला नं. 25 के पूर्व दिशा में रास्ता के चिपता लगा हुआ है।

प्रार्थी के भाई ख्यालीराम के नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता सं. 15/48 के प.नं. 52/361 (4) किला नं. 25/2 की 0.222 हैक. में लगा हुआ कुंआ प्रार्थी व प्रार्थी के भाई का सांझा लगाया हुआ है जिसमें प्रार्थी का भी पानी का हिस्सा है। उक्त कुंआ से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 एलबीएम के खाता सं. 23/48 के प.नं. 52/361 (4) किला नं. 13/2, 14, 15, प.नं. 52/363 (13) किला नं. 18 ता 23 की कुल 2.150 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी में सिंचाई करने हेतू चक 3 एलबीएम के प.नं. 53/361 के किला नं. 21 के कॉर्नर व प.नं. 53/362 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, प.नं. 52/363 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 के कॉर्नर से बजानिब पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा व प.नं. 52/363 किला नं. 24, 25 के बजानिब उतर दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बाई में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता में से पाईप लाई[illegible] से 4 फीट नीचे दबाकर लेकर जाना चाहता है जिससे कि प्रार्थी की [illegible] 2 में [illegible] सिंचाई सुविधा सुलभ हो सके। इसलिये प्रार्थी उक्त पाईप लाईन को स्वीकृत करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थी की कमांड अनकमांड कृषि भूमि में सिचांई सुविधा प्राप्त हो सके।

अप्रार्थी जो कि भू धारक है व भू धारक के नाम मय [illegible]र मुमकिन रास्ता में पाईप लाईन स्वीकृत करवाई जानी है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है।

प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 3 एलबीएम के प.नं. 53/361 के किला नं. 21 के कॉर्नर व प.नं. 53/362 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, प.नं. 52/363 किला नं. 1, 10, 11, 20 व 21 के कॉनर्र से बजानिब पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा व प.नं. 52/363 किला नं. 24, 25 के बजानिब उतर दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बाई में चल रहे स्वीकृतशुदा रास्ता में से पाईप लाईन जमीन में 4 फीट नीचे पाईप लाईन दबाने को स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार पीलीबंगा को रिपोर्ट हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 955 दिनांक 14.02.24 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है शामिल पत्रावली हैं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 3 एलबीएम में प्रार्थी जीवनराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल प.न. 52/361 (4) कि.न. 25/2 में बना कुंआ जिससे प्रार्थी पाईपलाईन ले जाना चाहता है वो कि.न. 25/2 प्रार्थी के भाई ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं 53/361 (3) कि.न. 21, 53/362 (11) कि.न. । 10, 11, 20, 21 व 53/363 (12) 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 52/363 (13) कि.न. 24, 25 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड गै.मु. रास्ते से प्रार्थी पाईपलाईन ले जाना चाहता है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 के रूप में ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी 2 एलबीएस तहसील पीलीबंगा को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर कोई आपति व एतराज जाहिर नहीं किया गया है। इकबाल दावा शामिल पत्रावली है। तहसीलदार रिपोर्ट एवं अप्रार्थी संख्या 2 के इकबाल दावा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:::आदेश:::—

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत इकबाल दावा व तहसीलदार पींलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थी को अन्य विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—क स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। चक 3 एलबीएम में प.न. 52/361 (4) कि.न. 25/2 में बना कुंआ प्रार्थी के भाई ख्यालीराम पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है में से एवं प.न. 53/361 (3) कि.न. 21, 53/362 (11) कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व 53/363 (12) 1, 10, 11, 20, 21 प.न. 52/363 (13) कि.न. 24, 25 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड गै.मु. रास्ते भूमि से पाईपलाईन डालने की स्वीकृति बिना किसी प्रतिफल के प्रदान की जाती है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible]। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 14/8/2[illegible] [illegible]या [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:23 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता [illegible]) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा